

न्यायालय-श्रीमती तनुश्री गवेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला धमतरी (छ.ग.)

// संशोधित दांडिक कार्य विभाजन आदेश //

क्र. ७ / सी.जे.एम. / 2025

धमतरी, दिनांक 06.09.2025

वर्तमान में माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के आदेशानुसार जिला न्यायालय स्थापना धमतरी, जिला धमतरी में पदस्थ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की पदोन्नति एवं श्री रजत कुमार निराला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धमतरी का स्थानांतरण कुरुद जिला धमतरी हो जाने के संबंध में पूर्व में जारी दांडिक कार्य विभाजन आदेश क्र. /सी.जे.एम. / 2025 धमतरी, दिनांक 29.03.2025 में वृहद स्तर पर संशोधन किया जाना आवश्यक एवं उचित प्रतीत होने से, उक्त सम्पूर्ण कार्य विभाजन आदेश में आवश्यकतानुसार निम्नानुसार संशोधित किया जाता है, जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन उपरांत दिनांक 08 सितम्बर 2025 से प्रभावशील होगा-

क्र.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम व पदनाम	आबंटित आरक्षी केन्द्र	कार्य का विवरण
1	2	3	4
1	श्रीमती तनु श्री गवेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धमतरी (छ.ग.)	आरक्षी केन्द्र 1.-धमतरी, 2.-रुद्री 3.-यातायात शाखा धमतरी	1. स्तंभ क्र. 03 के आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना, जिनमें खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954, औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम 1954, भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, चलचित्र अधिनियम 1944, नापतौल अधिनियम, दुकान स्थापना अधिनियम 1958, खान अधिनियम 1952, छ.ग. आबकारी अधिनियम 2002, कारखाना अधिनियम 1947, मोटरयान अधिनियम, संविदा एवं श्रमिक अधिनियम, नगर पालिका अधिनियम, एन.डी.पी.एस. एक्ट 1955 के अल्प मात्रा तक के प्रकरण शामिल हैं। 2. स्तंभ क्र. 03 में वर्णित आरक्षी केन्द्रों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले खात्मा एवं जिला धमतरी के अंतर्गत समस्त आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत खारिजी प्रकरणों का निराकरण करना। 3. स्तंभ क्र. 03 में वर्णित आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्राधिकार के भीतर उत्पन्न होने

		वाले परिवाद प्रकरणों का निराकरण करना। 4. आरक्षी केन्द्र धमतरी, रुद्री के क्षेत्राधिकार के भीतर उत्पन्न होने वाले घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रकरणों का निराकरण करना। 5. राजस्व जिला धमतरी से उत्पन्न होने वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं नमक अधिनियम 1944, विदेश व्यापार (विकास और विनियम) अधिनियम 1944, कंपनी अधिनियम 1957 धनकर अधिनियम 1962, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण एवं निरीक्षण) अधिनियम 1963 कंपनी (लाभ) अतिकर अधिनियम 1964, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम 1969, विदेश मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973, मार्किनिंग अधिनियम 1952 का संज्ञान लेना एवं उनका निराकरण करना। 6. राजस्व जिला धमतरी के सभी आरक्षी केन्द्रों एवं राजस्व जिला धमतरी के सभी आबकारी वृत्तों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) जिसमें 5 लीटर से अधिक शराब जप्ती से संबंधित प्रकरण का निराकरण करना। 7. आबकारी वृत्त धमतरी द्वारा स्तंभ क्र. 03 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों के स्थानीय क्षेत्राधिकार से उत्पन्न पांच बल्क लीटर तक के मदिरा जप्ती से संबंधित प्रकरणों का भी निराकरण करना। 8. स्तंभ क्र. 03 में वर्णित थानों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नगरपालिका निगम धमतरी से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। 9. ऐसे अन्य प्रकरण जो इस कार्य विभाजन आदेश में आबंटित नहीं है
--	--	--

			तथा ऐसे प्रकरण जो किसी विधि अधिनियम में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा ही विचारणीय है, उनका निराकरण करना। 10. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर एवं माननीय सत्र न्यायाधीश धमतरी द्वारा सौंपे गये समस्त कार्यो एवं मामलों का निराकरण करना।
2	कु. मीनू नंद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धमतरी, जिला धमतरी (छ.ग.)	आरक्षी केन्द्र 1. अकलाडोंगरी 2. अर्जुनी	1. स्तंभ क्र. 03 के आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना, जिनमें खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954, औषधि एवं प्रशासन अधिनियम 1954, भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, चलचित्र अधिनियम 1944, नापतौल अधिनियम, दुकान स्थापना अधिनियम 1958, खान अधिनियम 1952, छ.ग. आबकारी अधिनियम 2002, कारखाना अधिनियम 1947, मोटरयान अधिनियम, संविदा एवं श्रमिक अधिनियम नगर पालिका अधिनियम, एन.डी.पी.एस. एक्ट 1955 के अल्प मात्रा तक के प्रकरण शामिल है। 2. स्तंभ क्र. 03 में वर्णित आरक्षी केन्द्र द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला खात्मा प्रकरणों का निराकरण करना। 3. स्तंभ क्र. 03 में वर्णित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के भीतर उत्पन्न होने वाले परिवाद प्रकरणों का निराकरण करना। 4. आरक्षी केन्द्रों अर्जुनी, रूद्री, धमतरी, अकलाडोंगरी के क्षेत्राधिकार के भीतर उत्पन्न होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रकरणों का निराकरण करना। 5. आरक्षी केन्द्र अर्जुनी एवं अकलाडोंगरी के क्षेत्राधिकार के भीतर

			उत्पन्न होने वाले घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रकरणों का निराकरण करना। 6. आबकारी वृत्त धमतरी द्वारा स्तंभ क्रमांक 03 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों के स्थानीय क्षेत्राधिकार से उत्पन्न पांच बल्क लीटर से कम के मदिरा जप्ती से संबंधित प्रकरणों का भी निराकरण करना। 7. माननीय सत्र न्यायाधीश धमतरी एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धमतरी द्वारा सौंपे गये समस्त कार्य एवं मामलों का निराकरण करना।
3	श्री प्रणव वैद्य, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी धमतरी, जिला धमतरी (छ.ग.)	-----	1. माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धमतरी एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धमतरी द्वारा समय समय पर अंतरित/सौंपे गये प्रकरणों का निराकरण करना।
4	श्री रजत कुमार निराला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुरुद, जिला धमतरी (छ.ग.)	आरक्षी केन्द्र 1.-कुरुद, 2.-भखारा	1. स्तंभ क्र. 03 के आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना, जिनमें खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954, औषधि एवं प्रशाधन अधिनियम 1954, भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, चलचित्र अधिनियम 1944, नापतौल अधिनियम, दुकान स्थापना अधिनियम 1958, खान अधिनियम 1952, छ.ग. आबकारी अधिनियम 2002, कारखाना अधिनियम 1947, मोटरयान अधिनियम, संविदा एवं श्रमिक अधिनियम, नगर पालिका अधिनियम, एन.डी.पी.एस. एक्ट 1955 के अल्प मात्रा तक के प्रकरण शामिल हैं। 2. स्तंभ क्र. 03 में वर्णित आरक्षी केन्द्रों

			द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला खात्मा प्रकरणों का निराकरण करना। 3. स्तंभ क्र. 03 में वर्णित आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्राधिकार के भीतर उत्पन्न होने वाले परिवाद प्रकरणों का निराकरण करना। 4. आरक्षी कुरुद, भखारा के क्षेत्राधिकार के भीतर उत्पन्न होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रकरणों का निराकरण करना। 5. आरक्षी केन्द्र कुरुद, भखारा के क्षेत्राधिकार के भीतर उत्पन्न होने वाले घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रकरणों का निराकरण करना। 6. आबकारी वृत्त धमतरी द्वारा स्तंभ क्रमांक 03 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों के स्थानीय क्षेत्राधिकार से उत्पन्न पांच बल्क लीटर से कम के मदिरा जप्ती से संबंधित प्रकरणों का भी निराकरण करना। 7. माननीय सत्र न्यायाधीश धमतरी एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धमतरी द्वारा सौंपे गये समस्त कार्य एवं मामलों का निराकरण करना।
5	श्री निलेश कुमार बघेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुरुद, जिला धमतरी (छ.ग.)	आरक्षी केन्द्र 1.-मगरलोड	1. स्तंभ क्र. 03 के आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना, जिनमें खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954, औषधि एवं प्रशासन अधिनियम 1954, भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, चलचित्र अधिनियम 1944, नापतौल अधिनियम, दुकान स्थापना अधिनियम 1958, खान अधिनियम 1952, छ.ग. आबकारी अधिनियम 2002, कारखाना अधिनियम

		1947, मोटरयान अधिनियम, संविदा एवं श्रमिक अधिनियम, नगर पालिका अधिनियम, एन.डी.पी.एस. एक्ट 1955 के अल्प मात्रा तक के प्रकरण शामिल है। 2. स्तंभ क्र. 03 में वर्णित आरक्षी केन्द्र द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला खात्मा प्रकरणों का निराकरण करना। 3. स्तंभ क्र. 03 में वर्णित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के भीतर उत्पन्न होने वाले परिवार प्रकरणों का निराकरण करना। 4. आरक्षी मगरलोड के क्षेत्राधिकार के भीतर उत्पन्न होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रकरणों का निराकरण करना। 5. आरक्षी केन्द्र मगरलोड के क्षेत्राधिकार के भीतर उत्पन्न होने वाले घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रकरणों का निराकरण करना। 6. आबकारी वृत्त धमतरी द्वारा स्तंभ क्रमांक 03 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र के स्थानीय क्षेत्राधिकार से उत्पन्न पांच बल्क लीटर से कम के मदिरा जप्ती से संबंधित प्रकरणों का भी निराकरण करना। 7. माननीय सत्र न्यायाधीश धमतरी एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धमतरी द्वारा सौंपे गये समस्त कार्य एवं मामलों का निराकरण करना।
6	कु. दीपा सुचिता तिर्की, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नगरी, जिला धमतरी (छ.ग.)	आरक्षी केन्द्र 1.—सिहावा, 2.—नगरी, 3.—करेगांव, 4.—दुगली, 5.—मेचका, 6.—खल्लारी, 7.—बोरई एवं उक्त
		1. स्तंभ क्र. 03 के आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना, जिनमें खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954, औषधि एवं प्रशाधन अधिनियम 1954, भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972, आवश्यक वस्तु

		थानों से संबंधित पुलिस चौकियां	अधिनियम 1955, चलचित्र अधिनियम 1944, नापतौल अधिनियम, दुकान स्थापना अधिनियम 1958, खान अधिनियम 1952, छ.ग. आबकारी अधिनियम 2002, कारखाना अधिनियम 1947, मोटरयान अधिनियम, संविदा एवं श्रमिक अधिनियम, नगर पालिका अधिनियम, एन.डी.पी.एस. एक्ट 1955 के अल्प मात्रा तक के प्रकरण शामिल है। 2. स्तंभ क्र. 03 में वर्णित आरक्षी केन्द्रों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला खात्मा प्रकरणों का निराकरण करना। 3. स्तंभ क्र. 03 में वर्णित आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्राधिकार के भीतर उत्पन्न होने वाले परिवाद प्रकरणों का निराकरण करना। 4. स्तंभ क्र. 03 में वर्णित आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्राधिकार के भीतर उत्पन्न होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रकरणों का निराकरण करना। 5. आरक्षी केन्द्र सिहावा, नगरी, केरेगांव, दुगली, मेचका, खल्लारी, बोराई एवं उक्त थानों से संबंधित पुलिस चौकियों के क्षेत्राधिकार के भीतर उत्पन्न होने वाले घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रकरणों का निराकरण करना। 6. आबकारी वृत्त धमतरी द्वारा स्तंभ क्रमांक 03 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों के स्थानीय क्षेत्राधिकार से उत्पन्न पांच बल्क लीटर से कम के मदिरा जप्ती से संबंधित प्रकरणों का भी निराकरण करना। 7. माननीय सत्र न्यायाधीश धमतरी एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धमतरी द्वारा सौंपे गये समस्त कार्य एवं मामलों का निराकरण करना।
--	--	---------------------------------------	--

आवश्यक टिप्पणी-

01. माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा अभियोग पत्र ग्रहण किये जाने बाबत तथा अभियोग पत्र की सुस्पष्ट पठनीय प्रति, कम्प्यूटर प्रति/टंकित प्रति, साक्षियों के फोटो, जप्तशुदा संपत्ति, चिकित्सकीय रिपोर्ट, विशेषज्ञ रिपोर्ट एवं अन्य आदि के संबंध में दिए गए समस्त निर्देशों का पालन, न्यायिक मजिस्ट्रेटगण अभियोग पत्र ग्रहण करते समय कठोरता से करेंगे।
02. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटगण खात्मा प्रकरणों में निराकरण किये जाने के पूर्व माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार संबंधित प्रकरण के प्रार्थी/आहत/प्रभावित पक्ष को सुना जाना सुनिश्चित करेंगे।
03. तालिका स्तंभ क्र. 01 में दर्शित मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने, शासकीय दौरे पर रहने मुख्यालय से बाहर रहने या अन्य किसी भी कार्य से अनुपस्थित रहने की स्थिति में उनके न्यायालय का अत्यावश्यक कार्य संपादित करने हेतु नीचे दिये जा रहे तालिका के स्तंभ क्र. 02 में दर्शाये गये मजिस्ट्रेट और उनके अनुपस्थित रहने पर स्तंभ क्र. 03 में दर्शाये गये मजिस्ट्रेट और उनके अनुपस्थित रहने पर स्तंभ क्र. 04 और उनके अनुपस्थित रहने पर स्तंभ क्र. 05 में दर्शाये गये मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया जाता है।
04. टीप क्र. 02 के अनुसार नीचे दिये जा रहे तालिका अनुसार अगर उपरोक्त किसी कारण से तालिका क्र. 01, 02, 03, 04 एवं 05 के वर्णित मजिस्ट्रेट के एक साथ अनुपस्थित रहने की स्थिति में सिविल जिला धमतरी में उपस्थित मजिस्ट्रेट द्वारा अत्यावश्यक कार्य किया जावेगा।
05. धारा 215 भा.ना.सु.सं. के तहत लिखित परिवाद नीचे दिये गये तालिका के स्तंभ क्र. 01 में उल्लेखित न्यायालय से संबंधित होने की स्थिति में उसी तालिका क्र. 02 मजिस्ट्रेट के द्वारा संज्ञान लिये जायेंगे।
06. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश में रहने पर उनके अधिकारिता वाले आरक्षी केन्द्र क्षेत्रों से संबंधित संक्षिप्त विचारण वाले समस्त प्रकरण उनके अनुपस्थिति में प्रभार वाले मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत किये जायेंगे तथा पंजीबद्ध किया जाकर निराकृत किये जायेंगे।
07. अत्यावश्यक कार्यों में अन्य न्यायालय से संबंधित प्रकरणों का अभियोग पत्र लेकर, अंतिम निराकरण किया जाना शामिल नहीं है, परन्तु भा.न्या.सं. की धारा 281, 125 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 13 जुआ एक्ट, धारा 36(च) आबकारी अधिनियम के तहत ऐसा प्रकरण जिनके आरोपीगण स्वेच्छापूर्वक अपराध स्वीकार करना चाहते हो, मात्र उन्हीं प्रकरणों में अभियोग पत्र लेकर अंतिम निराकरण किया जा सकेगा।
08. धमतरी जिला में पदस्थ संक्षिप्त विचारण की शक्तियों से वेष्टित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा क्षेत्राधिकार रखने वाले क्षेत्र में माह में एक बार माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ६

मतरी की पूर्व अनुमति से एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धमतरी को सूचित करते हुये जो दैनिक न्यायालय कार्य को प्रभावित किये बिना किया जायेगा चलित न्यायालय लगाया जा सकेगा।

09. नीचे लिखी तालिका के अनुसार स्तंभ क्र. 02 के मजिस्ट्रेट उस प्रकरण के संज्ञान लेने हेतु अधिकृत रहेंगे जिसमें अभियुक्त जुर्म स्वीकार करना चाहता हो तथा निराकरण करते समय ध्यान रखे कि भा.ना.सु.सं. की धारा-514(2) के उपबंधो की अवहेलना न हो।
10. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 के तहत साक्ष्य एवं संस्वीकृति के कथन कार्य विभाजन आदेश के साथ संलग्न अनुसूची "ब" के अनुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित किये जायेंगे।
11. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धमतरी की लिखित अनुशंसा पर एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय धमतरी की अनुमति प्राप्त होने पर ही किसी भी प्रकार के अवकाश पर अपने मुख्यालय से प्रस्थान करेंगे।
12. जिला धमतरी के अंतर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार के ऐसे समस्त अन्य कार्य जिनका विवरण उपरोक्त कार्य विभाजन आदेश में वर्णित नहीं है, वे अग्र कार्यवाही हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धमतरी के न्यायालय के समक्ष पेश किये जावेंगे।
13. पूर्व से घोषित सार्वजनिक अवकाश अथवा अचानक घोषित अवकाश दिवस के संबंध में मजिस्ट्रेटगण के रिमांड ड्यूटी संपादन हेतु माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के निर्देशानुसार अनुसूची स के अनुसार निष्पादित करेंगे।
14. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने रिमाण्ड ड्यूटी करने किसी आवश्यक अपरिहार्य कारणो से असमर्थ होंगे तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के मार्फत माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय धमतरी को सूचना देकर रिमाण्ड ड्यूटी क्रमशः आपसी सहमति से बदल सकेंगे।
15. कार्य विभाजन आदेश एवं अनुसूची "अ" तथा अनुसूची "ब" के अनुसार नामांकित न्यायिक मजिस्ट्रेट के स्थानांतरण की दशा में अन्य आगामी आदेश पर्यंत, प्रभार में लेने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट तदानुसार ही कार्य संपादित करेंगे।
16. अवकाश में जाने से पूर्व प्रत्येक मजिस्ट्रेट नीचे तालिका अनुसार प्रभार में कार्य करने वाले मुख्यालय में रहने वाले मजिस्ट्रेट को अवकाश की सूचना देंगे।


(श्रीमती तनु श्री गवेल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला धमतरी (छ.ग.)

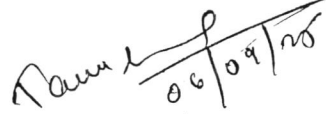
-// अनुसूची " अ " // -

न्यायिक मजिस्ट्रेटों के अवकाश पर रहने, दौरे पर रहने पर उनके न्यायालय से संबंधित अत्यावश्यक कार्य जैसे दंडिक प्रकरणों के फाइलों में हस्ताक्षर करना, जमानत आवेदन पत्र का निराकरण करना आदि कार्य संपादन हेतु उनके नाम के आगे दर्शित कंडिका में अंकित न्यायिक मजिस्ट्रेटगण द्वारा एवं उनके अवकाश पर रहने अथवा रिक्ति की स्थिति में उनके आगे के कॉलम में अंकित न्यायिक मजिस्ट्रेटगण के द्वारा (क्रमानुसार) संपादित किये जायेंगे-

क्र.	अधिकारीगण का नाम	स्तंभ क्र. 01 के अधिकारी के अवकाश पर होने से कार्य देखने वाले अधिकारी का नाम	स्तंभ क्र. 02 के अधिकारी के अवकाश पर होने से कार्य देखने वाले अधिकारी का नाम	स्तंभ क्र. 03 के अधिकारी के अवकाश पर होने से कार्य देखने वाले अधिकारी का नाम	स्तंभ क्र. 04 के अधिकारी के अवकाश पर होने से कार्य देखने वाले अधिकारी का नाम
	स्तंभ क्र. 01	स्तंभ क्र. 02	स्तंभ क्र. 03	स्तंभ क्र. 04	स्तंभ क्र. 05
01	श्रीमती तनु श्री गवेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धमतरी	कु. मीनू नंद, जेएमएफसी धमतरी	श्री प्रणव वैद्य, जेएमएससी धमतरी	श्री रजत कुमार निराला, जेएमएफसी कुरुद	श्री निलेश कुमार बघेल, जेएमएफसी कुरुद
02	कु. मीनू नंद, जेएमएफसी धमतरी	श्री प्रणव वैद्य, जेएमएससी धमतरी	श्रीमती तनु श्री गवेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धमतरी	श्री रजत कुमार निराला, जेएमएफसी कुरुद	श्री निलेश कुमार बघेल, जेएमएफसी कुरुद
03	श्री प्रणव वैद्य, जेएमएफसी धमतरी	कु. मीनू नंद, जेएमएफसी धमतरी	श्रीमती तनु श्री गवेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धमतरी	श्री रजत कुमार निराला, जेएमएफसी कुरुद	श्री निलेश कुमार बघेल, जेएमएफसी कुरुद
04	श्री रजत कुमार निराला, जेएमएफसी कुरुद	श्री निलेश कुमार बघेल, जेएमएफसी कुरुद	कु. मीनू नंद, जेएमएफसी धमतरी	श्री प्रणव वैद्य, जेएमएससी धमतरी	श्रीमती तनु श्री गवेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धमतरी
05	श्री निलेश बघेल, जेएमएफसी कुरुद	श्री रजत कुमार निराला, जेएमएफसी कुरुद	कु. मीनू नंद, जेएमएफसी धमतरी	श्री प्रणव वैद्य, जेएमएससी धमतरी	श्रीमती तनु श्री गवेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धमतरी
06	कु. दीपा सुचिता तिर्की, जेएमएफसी नगरी	कु. मीनू नंद, जेएमएफसी धमतरी	श्री प्रणव वैद्य, जेएमएससी धमतरी	श्रीमती तनु श्री गवेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धमतरी	श्री रजत कुमार निराला, जेएमएफसी कुरुद

टिप्पणी:—

01. उपरोक्तानुसार नामांकित न्यायिक मजिस्ट्रेट के स्थानांतरण की दशा में अन्य प्रभार लेने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट अन्य आदेश पर्यन्त उपरोक्तानुसार ही कार्य करेंगे।
02. उपरोक्त अनुसूची "अ" के अनुसार अत्यावश्यक कार्य बाबत यदि शंकास्पद स्थिति आती है तब मुख्यालय में उपस्थित वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट देखेंगे।
03. अवकाश में एवं प्रशिक्षण में जाने से पूर्व प्रत्येक मजिस्ट्रेट, प्रभार में कार्य करने वाले तथा मुख्यालय में रहने वाले मजिस्ट्रेट को अवकाश की सूचना देंगे तथा मुख्यालय से बाहर जाते समय प्रस्थान किये जाने से पूर्व माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित करेंगे।


(श्रीमती तनु श्री गवेल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला धमतरी (छ.ग.)

-//अनुसूची " ब" // -

धारा 183 भा.ना.सु.सं. के अंतर्गत स्वीकृति/संस्वीकृति व कथन निम्नानुसार लिए जायेगे

:-

क्र.	थानों का नाम	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	अवकाश/रिवित्त की स्थिति न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	अवकाश/रिवित्त की स्थिति न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम
1	2	3	4	5
01	अकलाडोंगरी एवं अर्जुनी	श्रीमती तनु श्री गवेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धमतरी	श्री प्रणव वैद्य, जेएमएससी कुरुद	श्री रजत कुमार निराला, जेएमएससी कुरुद
02	रुद्री, धमतरी, यातायात शाखा धमतरी	कु. मीनू नंद, जेएमएससी धमतरी	श्री प्रणव वैद्य, जेएमएससी कुरुद	श्री रजत कुमार निराला, जेएमएससी कुरुद
03	आरक्षी केन्द्र भखारा, कुरुद एवं उनके अधीनस्थ चौकियों से उद्भूत प्रकरण	श्री निलेश कुमार बघेल, जेएमएससी कुरुद	कु. मीनू नंद, जेएमएससी धमतरी	श्री प्रणव वैद्य, जेएमएससी धमतरी
05	आरक्षी केन्द्र मगरलोड से उद्भूत प्रकरण	श्री रजत कुमार निराला, जेएमएससी कुरुद	कु. मीनू नंद, जेएमएससी धमतरी	श्री प्रणव वैद्य, जेएमएससी धमतरी
06	आरक्षी केन्द्र नगरी, सिहावा, दुगली, केरेगांव, मेचका, खल्लारी, बोराई एवं उनके अधीनस्थ चौकियों से उद्भूत प्रकरण	कु. मीनू नंद, जेएमएससी धमतरी	श्री प्रणव वैद्य, जेएमएससी धमतरी	श्रीमती तनु श्री गवेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धमतरी
07	आरक्षी केन्द्र भखारा, कुरुद एवं उनके अधीनस्थ चौकियों से उद्भूत <u>अपचारी बालकों के प्रकरणों में</u>	श्री निलेश कुमार बघेल, जेएमएससी कुरुद	श्री रजत कुमार निराला, जेएमएससी कुरुद	श्री प्रणव वैद्य, जेएमएससी धमतरी
08	आरक्षी केन्द्र मगरलोड से उद्भूत <u>अपचारी बालकों के प्रकरणों में</u>	श्री रजत कुमार निराला, जेएमएससी कुरुद	श्री निलेश कुमार बघेल, जेएमएससी कुरुद	श्री प्रणव वैद्य, जेएमएससी धमतरी

09	आरक्षी केन्द्र नगरी, सिहावा, दुगली, करेगांव, मेचका, खल्लारी, बोराई एवं उनके अधीनस्थ चौकियों से उद्भूत <u>अपचारी बालकों के</u> <u>प्रकरणों में</u>	श्री प्रणव वैद्य, जेएमएससी धमतरी	कु. दीपा सुचिता तिर्की, जेएमएससी नगरी	श्री निलेश कुमार बघेल, जेएमएससी कुरुद
10	आरक्षी केन्द्र धमतरी, अकलाडोंगरी, रुद्री, अर्जुनी से उद्भूत <u>अपचारी बालकों के</u> <u>प्रकरणों में</u>	श्री रजत कुमार निराला, जेएमएससी कुरुद	श्री निलेश कुमार बघेल, जेएमएससी कुरुद	श्री प्रणव वैद्य, जेएमएससी धमतरी

टिप्पणी-

01. धारा 183 भा.ना.सु.सं. के तहत प्रस्तुत होने वाले कथन न्यायिक मजिस्ट्रेटगण आवश्यक रूप से प्रस्तुत किये जाने पर विधिवत भा.ना.सु.सं. के प्रावधानों के अंतर्गत अभिलिखित करेंगे एवं संबंधित न्यायालय को सीलबंद कर प्रेषित करेंगे और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित करेंगे।


(श्रीमती तनु श्री गवेल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला धमतरी (छ.ग.)

// अनुसूची "स" //
रिमांड ड्यूटी

न्यायिक मजिस्ट्रेट अवकाश के दिनों में समय दोपहर 03.00 बजे को न्यायालय में उपस्थित होकर रिमांड ड्यूटी अत्यावश्यक कार्य संपादित करेंगे-

न्यायालय (जिला मुख्यालय धमतरी)

क्र.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	तिथि	रिमाक्र
01	श्रीमती तनु श्री गवेल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धमतरी	माह के 01 से 15 तारीख के दरम्यान पड़ने वाले अवकाश दिवस में	
02	कु. मीनू नंद जेएमएफसी धमतरी	माह के 16 से 31 तारीख के दरम्यान पड़ने वाले अवकाश दिवस में	

बाह्य न्यायालय कुरुद

क्र.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	तिथि	रिमाक्र
01	श्री रजत कुमार निराला जेएमएफसी कुरुद	माह के 01 से 15 तारीख के दरम्यान पड़ने वाले अवकाश दिवस में	
02	श्री निलेश कुमार बघेल जेएमएफसी कुरुद	माह के 16 से 31 तारीख के दरम्यान पड़ने वाले अवकाश दिवस में	

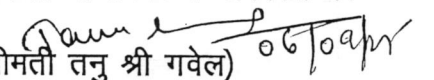
बाह्य न्यायालय नगरी

क्र.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	तिथि	रिमाक्र
01	कु. दीपा सुचिता तिर्की, जेएमएफसी नगरी	माह के 01 से 31 तारीख के दरम्यान पड़ने वाले अवकाश दिवस में	

आवश्यक टीप :-

01. उपरोक्तानुसार नामांकित न्यायिक मजिस्ट्रेट अवकाश के दिनों में रिमांड कार्य करना सुनिश्चित करेंगे तथा शासन द्वारा या मान. उच्च न्यायालय द्वारा आकस्मिक परिस्थितियों में अवकाश घोषित किये जाने पर भी उपरोक्तानुसार ही रिमांड कार्य करना सुनिश्चित करेंगे।

02. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धमतरी की लिखित अनुशंसा पर एवं मान. जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय धमतरी की अनुमति प्राप्त होने पर ही किसी भी प्रकार के अवकाश पर अपने मुख्यालय से प्रस्थान करेंगे।


(श्रीमती तनु श्री गवेल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला धमतरी (छ.ग.)

/// अनुसूची "द" ///

माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय के द्वारा एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के प्रकरणों जप्त प्रतिषिद्ध पदार्थ के सैंपलिंग के संबंध में जारी दिशानिर्देश

भारत सरकार के राजपत्र क्र.-802, असाधारण, भाग II- खंड 3-उप-खंड(i) नई दिल्ली, दिनांक 23 दिसम्बर 2022 में जारी अधिसूचना में वर्णित नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (जब्ती, भंडारण, नमूनाकरण और निपटान) नियम, 2022 जो राजपत्र में प्रकाशन की तिथि 23/12/2022 से लागू है, के अध्याय III के नियम 8 व 9 के प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी के द्वारा विविध आदेश क्र. -153/एक-09-02/2006, धमतरी, दिनांक 13.01.2023 जारी कर एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत घटित होने वाले अपराध में जप्त किये जाने वाले प्रतिषिद्ध पदार्थ की सैंपलिंग का कार्य किये जाने हेतु स्थापना में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को दिशानिर्देश जारी किया गया है, जो आदेश दिनांक 13.01.2023 से प्रभावशील है:-

सैंपलिंग का कार्य किये जाने हेतु जारी दिशानिर्देश:-

1. सैंपलिंग व उससे संबंधित आनुषंगिक कार्यवाही नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (जब्ती, भंडारण, नमूनाकरण और निपटान) नियम, 2022 के प्रावधानों व उसके साथ संलग्न फॉर्म में वर्णित अनुसार ही की जाये।

2. पुलिस अधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जप्त की गई प्रतिषिद्ध पदार्थ की मात्रा यदि अल्प मात्रा (Small quantity) से अधिक है (अर्थात् जिन प्रकरणों का निराकरण विशेष न्यायालय धमतरी द्वारा किया जाना है) तो उसके सैंपलिंग की कार्यवाही उस क्षेत्राधिकारिता वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष की जायेगी जिसके थाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत स्थित थाने/पुलिस चौकी के द्वारा प्रतिषिद्ध पदार्थ जप्त किये जाने की कार्यवाही की गई है/अपराध दर्ज किया गया है।

03. यदि जप्त किये गये प्रतिषिद्ध पदार्थ की मात्रा अल्प मात्रा (Small quantity) है तो उसके सैंपलिंग की कार्यवाही निम्नानुसार संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष की जायेगी:-

क्र.	पुलिस थाना/चौकी, जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत पुलिस अधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लघु मात्रा में प्रतिषिद्ध पदार्थ जप्त करने की कार्यवाही की गई है	क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	सैंपलिंग की अधिकारिता रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम
01	धमतरी, रुद्री	श्रीमती तनु श्री गवेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धमतरी	कु. मीनू नंद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धमतरी
02	अर्जुनी, अकलाडोंगरी	कु. मीनू नंद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धमतरी	श्रीमती तनु श्री गवेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धमतरी

03	कुरुद, भखारा एवं उक्त थानों से संबंधित पुलिस चौकियां	श्री रजत कुमार निराला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुरुद	श्री निलेश कुमार बघेल, जेएमएफसी कुरुद
04	मगरलोड	श्री निलेश कुमार बघेल, जेएमएफसी कुरुद	श्री प्रणव वैद्य, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी धमतरी
05	सिहावा, नगरी, केरेगांव दुगली, मेचका, खल्लारी, बोराई एवं उक्त थानों से संबंधित पुलिस चौकियां	कु. दीपा सुचिता तिकी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नगरी	श्री रजत कुमार निराला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुरुद

नोट:- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के द्वारा एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के प्रकरणों में जप्त प्रतिषिद्ध पदार्थ के सैंपलिंग के संबंध में जारी दिशानिर्देश का पालन करना क्षेत्राधिकारिता वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :-

01. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय धमतरी को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
02. माननीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धमतरी/शृंखला न्यायालय कुरुद को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
03. माननीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) धमतरी को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
04. माननीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धमतरी के न्यायालय में प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश धमतरी को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
05. माननीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धमतरी के न्यायालय में द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश धमतरी को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
06. कु. दीपा सुचिता तिकी- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नगरी को पालनार्थ प्रेषित।
07. श्री रजत कुमार निराला- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुरुद को पालनार्थ प्रेषित।
08. कु. मीनू नंद- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धमतरी को पालनार्थ प्रेषित।
09. श्री निलेश कुमार बघेल - न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुरुद को पालनार्थ प्रेषित।
10. श्री प्रणव वैद्य - न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी धमतरी को पालनार्थ प्रेषित।
11. कलेक्टर/ जिला मजिस्ट्रेट धमतरी को सूचनार्थ प्रेषित।
12. पुलिस अधीक्षक जिला धमतरी को जिले के संबंधित थानों में प्रतिलिपि प्रेषित किये जाने के पालनार्थ प्रेषित।
13. मुख्य कार्यपालन अधिकारी नगर पालिक निगम धमतरी को सूचनार्थ प्रेषित।
14. वनमंडलाधिकारी धमतरी को जिले के समस्त वन कार्यालय में प्रेषित किये जाने के पालनार्थ प्रेषित।

15. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ धमतरी/कुरुद/नगरी को सूचनार्थ।
16. जिला अभियोजन अधिकारी, धमतरी को सूचनार्थ।
17. प्रमुख एल.ए.डी.सी.एस. जिला धमतरी को सूचनार्थ।
18. जिला परिवहन अधिकारी धमतरी को सूचनार्थ।
19. यातायात शाखा धमतरी को सूचनार्थ।
20. जिला आबकारी अधिकारी धमतरी को सभी वृत्तों के प्रभारी को प्रेषित किये जाने के पालनार्थ प्रेषित।
21. प्रस्तुतकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धमतरी।


(श्रीमती तनु श्री गवेल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला धमतरी (छ.ग.)